



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110 001  
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 344/टीएल/2023

दिनांक: 1.2.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड' के रूप से ज्ञात), बी-9, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस-III भाग बी1 के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>2x330 एमवीएआर (765केवी) बस रिएक्टर एवं 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर के साथ भड़ला-3 पर 2x1500 एमवीए 765/400 केवी एवं 3x500 एमवीए 400/220 केवी पूलिंग स्टेशन की स्थापना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी: 2 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए)</li> <li>765 केवी आईसीटी बे - 2 नंबर</li> <li>400/220 केवी, 500 एमवी आईसीटी - 3 नंबर</li> <li>765 केवी लाईन बे - 2 नंबर</li> <li>400 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर</li> <li>220 केवी आईसीटी बे - 3 नंबर</li> <li>220 केवी लाईन बे: 5 नंबर</li> <li>330 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 नंबर (7x110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट के साथ)</li> <li>765 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर</li> <li>125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>420 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर</li> </ul> <p>भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बे के साथ 765/400 केवी आईसीटी: 2 नंबर</li> <li>स्विचबल लाईन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाईन बे: 6 नंबर</li> <li>765 केवी लाईन बे: 4 नंबर</li> <li>बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर</li> <li>बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी: 10 नंबर</li> <li>400 केवी लाईन बे: 8 नंबर</li> <li>स्विचबल लाईन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाईन बे: 8 नंबर</li> <li>बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर</li> <li>400 केवी सेक्शनलाईजेशन बे: 2 सेट</li> <li>220 केवी लाईन बे: 12 नंबर</li> <li>220 केवी सेक्शनलाईजेशन बे: 2 सेट</li> </ul>	18 मास
2.	<p>भड़ला-3 पीएस-सीकर-11 एस/एस 765 केवी डी/सी लाईन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर के साथ भड़ला-3 पीएस-सीकर-11 एस/एस 765 केवी डी/सी लाईन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765 केवी 330 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट - 4 नंबर</li> <li>765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर - 4 नंबर</li> </ul>	
3.	<p>सीकर-11 पर 765 केवी लाईन बे</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765 केवी लाईन बे - 2 नंबर</li> </ul>	

### नोट:

- शॉर्ट सर्किट लेवल को सीमित करने के लिए 400 केवी एवं 220 केवी स्तर पर भड़ला-3 पर उपयुक्त सेक्शनलाईजेशन का प्रावधान रखा जाएगा।
  - सीकर-11 एस/एस का विकासकर्ता स्विचबल लाईन रिएक्टरों के लिए स्थान के साथ सीकर-11 एस/एस पर 765 केवी लाईन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
  - बस स्विचिंग स्कीम आवश्यकताओं हेतु भावी 2 नंबर 220 केवी बस कपलर बे और 2 नंबर ट्रांसफर बस कपलर बे के लिए स्थान का प्रावधान रखा जाएगा।
- आवेदक को अधिनियम की धारा 83 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 2124.08 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
  - सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 1.12.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
  - रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 344/टीएल/2023 में दिनांक 27.1.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा-1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
  - पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
  - नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 20.2.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - आयोग द्वारा दिनांक 23.2.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पृथी)  
सचिव